



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14092026-276176
CG-DL-E-14092026-276176

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 548]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 8, 2026/भाद्र 17, 1948

No. 548]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 8, 2026/BHADRA 17, 1948

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2026

फा. सं. आरसीडी-15001/4/2021-विनियामक-भाखासुमाप्रा-पार्ट(1).—खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 10 की उपधारा 5 के साथ पठित धारा 37 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण 2 सितम्बर, 2021 को भारत के राजपत्र असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित मूल अधिसूचना में संशोधन कर एतद्वारा निम्न अधिकारियों को खाद्य संरक्षा अधिकारी के रूप में उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित क्षेत्र के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से अधिसूचित करता है:-

तालिका में,

- (1) क्रम संख्या 2 में, अधिकार क्षेत्र से सम्बंधित स्तम्भ '3' में, वर्तमान शब्दों के पश्चात, 'और विशाखापत्तनम हवाईअड्डा' शब्दों को रखा जायेगा;
- (2) क्रम संख्या 4 में, अधिकार क्षेत्र से सम्बंधित स्तम्भ '3' में, वर्तमान शब्दों के पश्चात, 'और कोचीन हवाईअड्डा' शब्दों को रखा जायेगा;

- (3) क्रम संख्या 19 में , अधिकार क्षेत्र से सम्बंधित स्तम्भ '3' में ,वर्तमान शब्दों के पश्चात, 'और गुवाहाटी हवाईअड्डा' शब्दों को रखा जायेगा;
- (4) क्रम संख्या 22 में , अधिकार क्षेत्र से सम्बंधित स्तम्भ '3' में ,वर्तमान शब्दों के पश्चात, 'और हैदराबाद हवाईअड्डा' शब्दों को रखा जायेगा;
- (5) क्रम संख्या 28 में , अधिकार क्षेत्र से सम्बंधित स्तम्भ '3' में ,वर्तमान शब्दों के पश्चात, 'और चंडीगढ़ हवाईअड्डा' शब्दों को रखा जायेगा;
- (6) क्रम संख्या 30 में , अधिकार क्षेत्र से सम्बंधित स्तम्भ '3' में ,वर्तमान शब्दों के पश्चात, 'और गाज़ियाबाद हवाईअड्डा' शब्दों को रखा जायेगा;
- (7) क्रम संख्या 43 में , अधिकार क्षेत्र से सम्बंधित स्तम्भ '3' में ,वर्तमान शब्दों के पश्चात, 'और अमृतसर हवाईअड्डा' शब्दों को रखा जायेगा;
- (8) क्रम संख्या 53 में , अधिकार क्षेत्र से सम्बंधित स्तम्भ '3' में , वर्तमान शब्दों के पश्चात, 'और बेंगलुरु हवाईअड्डा' शब्दों को रखा जायेगा;
- (9) क्रम संख्या 54 में , अधिकार क्षेत्र से सम्बंधित स्तम्भ '3' में ,वर्तमान शब्दों के पश्चात, 'और मंगलौर हवाईअड्डा' शब्दों को रखा जायेगा;
- (10) क्रम संख्या 65 में , अधिकार क्षेत्र से सम्बंधित स्तम्भ '3' में ,वर्तमान शब्दों के पश्चात, 'और बागडोगरा हवाईअड्डा' शब्दों को रखा जायेगा;
- (11) क्रम संख्या 69 में , अधिकार क्षेत्र से सम्बंधित स्तम्भ '3' में ,वर्तमान शब्दों के पश्चात, 'और अहमदाबाद हवाईअड्डा' शब्दों को रखा जायेगा;
- (12) क्रम संख्या 74 में , अधिकार क्षेत्र से सम्बंधित स्तम्भ '3' में ,वर्तमान शब्दों के पश्चात, 'और गुवाहाटी हवाईअड्डा' शब्दों को रखा जायेगा;
- (13) क्रम संख्या 76 में , अधिकार क्षेत्र से सम्बंधित स्तम्भ '3' में ,वर्तमान शब्दों के पश्चात, 'और बागडोगरा हवाईअड्डा' शब्दों को रखा जायेगा;
- (14) क्रम संख्या 78 में , अधिकार क्षेत्र से सम्बंधित स्तम्भ '3' में ,वर्तमान शब्दों के पश्चात, 'और इंदौर हवाईअड्डा' शब्दों को रखा जायेगा।

राजित पुनहानी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./317/2025-26]

टिप्पण- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में फा.सं. आरसीडी-15001/4/2021-विनियामक-भाखासंमाप्रा., तारीख 2 सितम्बर, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात अंतिम बार अधिसूचना संख्या फा.सं. आरसीडी-15001/4/2021-विनियामक-भाखासुमाप्रा-पार्ट(1), दिनांक 6 अप्रैल 2026 द्वारा संशोधित की गई थी।

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th September, 2026

F. No. RCD-15001/4/2021-Regulatory-FSSAI-part(1).—In exercise of the powers conferred under Sub-Section 5 of Section 10 read with Section 37 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby notifies the following officers as Central Food Safety Officers for the area mentioned against each with effect from the date of publication of this notification by amending the principal notification, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated the 2nd September, 2021:-

In the table;

- (1) against Sr. no. 2, in column '3' relating to 'Area of Jurisdiction', after the existing words, the words 'and Vishakhapatnam Airport' shall be inserted;
- (2) against Sr. no. 4, in column '3' relating to 'Area of Jurisdiction', after the existing words, the words 'and Cochin Airport' shall be inserted;
- (3) against Sr. no. 19, in column '3' relating to 'Area of Jurisdiction', after the existing words, the words 'and Guwahati Airport' shall be inserted;
- (4) against Sr. no. 22, in column '3' relating to 'Area of Jurisdiction', after the existing words, the words 'and Hyderabad Airport' shall be inserted;
- (5) against Sr. no. 28, in column '3' relating to 'Area of Jurisdiction', after the existing words, the words 'and Chandigarh Airport' shall be inserted;
- (6) against Sr. no. 30, in column '3' relating to 'Area of Jurisdiction', after the existing words, the words 'and Ghaziabad Airport' shall be inserted;
- (7) against Sr. no. 43, in column '3' relating to 'Area of Jurisdiction', after the existing words, the words 'and Amritsar Airport' shall be inserted;
- (8) against Sr. no. 53, in column '3' relating to 'Area of Jurisdiction', after the existing words, the words 'and Bengaluru Airport' shall be inserted;
- (9) against Sr. no. 54, in column '3' relating to 'Area of Jurisdiction', after the existing words, the words 'and Mangalore Airport' shall be inserted;
- (10) against Sr. no. 65, in column '3' relating to 'Area of Jurisdiction', after the existing words, the words 'and Bagdogra Airport' shall be inserted;
- (11) against Sr. no. 69, in column '3' relating to 'Area of Jurisdiction', after the existing words, the words 'and Ahmedabad Airport' shall be inserted;
- (12) against Sr. no. 74, in column '3' relating to 'Area of Jurisdiction', after the existing words, the words 'and Guwahati Airport' shall be inserted;
- (13) against Sr. no. 76, in column '3' relating to 'Area of Jurisdiction', after the existing words, the words 'and Bagdogra Airport' shall be inserted;
- (14) against Sr. no. 78, in column '3' relating to 'Area of Jurisdiction', after the existing words, the words 'and Indore Airport' shall be inserted.

RAJIT PUNHANI, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./317/2025-26]

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide F. No. RCD-15001/4/2021-Regulatory-FSSAI, dated the 2nd September, 2021 and last amended vide notification F. No. RCD-15001/4/2021-Regulatory-FSSAI-part(1) dated 6th April, 2026.